मज़दूरों को मिला न्याय

लॉस एंजिल्स के छः मज़दूरों को काम के दौरान कृमिनाशक से पीड़ित होने पर तीस लाख डॉलर बतौर मुआवज़ा प्राप्त हुए हैं। इससे सम्बंधित मुकदमे के दौरान यह भी उजागर हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अलग-अलग मापदंड अपनाती हैं। जो रसायन वे यू.एस. में सप्लाई नहीं करेंगी उसे अन्य देशों में खुशी-खुशी सप्लाई करती रहती हैं।

दरअसल बात यह है कि डोल कंपनी के केला बागान में जिन मज़दूरों को काम करने के लिए रखा था वे कीटनाशक के कारण बीमारी से ग्रसित हो गए। ये रसायन केले की जड़ों में डाले जाते हैं ताकि ये पौधे अति सूक्ष्म कृमियों से मुक्त रहें और बढ़िया फसल प्राप्त हो, लेकिन इन रसायनों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

1970 से 1980 तक खेतों में काम करने वाले इन मज़दूरों पर कीटनाशकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। इसके बाद छः मज़दूरों ने डोल और डव केमिकल्स के खिलाफ यू.एस. सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा दिया। डव केमिकल्स वे रसायन बनाती है जिनका उपयोग डोल कंपनी के केला बागानों में किया जाता है।

कोर्ट ने डोल और डव कंपनी दोनों को दोषी माना है क्योंकि डव केमिकल्स जो उत्पाद बनाते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में घातक रसायन पाए जाते हैं जिन्हें डोल कंपनी उपयोग में लाती है। इसी कारण इन मज़दूरों में बीमारी फैली। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों का वित्तीय दायित्व है कि वे इन मज़दूरों को मुआवज़ा दें।

अदालत ने माना कि इनमें से अत्यधिक रोगग्रस्त पांच मज़दूरों के मामले में कंपनी 80 प्रतिशत ज़िम्मेदार है और छठे दावेदार के मामले में 60 प्रतिशत। ज्यूरी ने यह भी कहा है कि दोनों कंपनियां इन मज़दूरों को मुआवज़े के साथ-साथ हर्ज़ाना भी देंगी।

आहत मज़दूरों के वकील ड्यूएन मिलर ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यूरी के सदस्यों ने जो फैसला दिया है वह काफी सराहनीय कदम है, और ऐसे फैसले से गरीबों को इंसाफ मिलता है।

मुकदमे के दौरान यह भी सामने आया कि डव ने उक्त कीटनाशक से नपुंसकता के खतरे को देखते हुए यू.एस. में इसे सप्लाई करना बंद कर दिया था। अलबत्ता, डोल कंपनी ने डव के नुमाइन्दों को आगाह किया है कि यदि वे अंतर्राष्ट्रीय कामकाज के लिए इस कीटनाशक की सप्लाई रोकेंगे तो यह उनके बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***

स्रोत सजिल्द

एक वर्ष सजिल्द रुपए 200.00। डाक खर्च रुपए 25.00 अतिरिक्त ।